FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what advantages are likely to accrue to India and the surrounding countries as a result of the formation of the International and Medical Sciences Academy registered on the 28th March, 1981;

(b) what are the financial estimates, recurring and non-recurring, for running of the academy; and

(c) what is India's share of contribution and what amount is likely to come in from abroad and from what sources?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) and (b). A society called the International Medical Sciences Academy registered on 28-3-1981, is a non-governmental body, located at Delhi. The Academy has reported that it has just started functioning on a limited budget.

(c) In view of replies to (a) & (b), the question does not arise.

सिगनल तथा दूरसंचार कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

*1027 **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सिगनल तथा दूरसंचार कर्मचारियों ने 30 मार्च, 1981 को नई दिल्ली में प्रदर्शन किया था,

(ख) यदि हां तो क्या सिगनल तथा दूरसंचार कर्मचारी संघ ने उन्हें एक ज्ञापन पेश किया था, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) सिगनल और दूरसंचार कर्मचारी एसोसिएशन जो एक गैर-मान्यताप्राप्त निकाय है, ने संसद भवन पर 30-3-81 को एक प्रदर्शन किया था और रेल मंत्री को एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया। ज्ञापन में निर्दिष्ट मुख्य मांगे इस प्रकार थी :—

(1) इस्पात, कोयला तेल प्राकृतिक गैस कमीशन और पोर्ट ट्रस्ट जैसे अन्य समकक्ष उद्योगों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के बराबर रेलों के सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों के वेतनमानों का उर्ध्व गामी संशोधन।

(2) एसोसिएशन के पदाधिकारियों का तथाकथित उत्पीड़न समाप्त करना।

सरकार की नीति के अनुसार रेल कर्मचारियों की किसी भी कोटि से प्राप्त मांगों पर वर्तमान नियमों और वित्तीय तथा प्रशासनिक तंत्रियों के ढांचे के अंतर्गत विचार किया जाता है। वेतनमानों में संशोधन करने के संबंध में सिगनल एवं दूरसंचार कर्मचारियों की मांगों पर इस आधार पर विचार किया गया है। लेकिन उनके वेतनमानों में संशोधन करना सम्भव नहीं है जो वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किये गये हैं। यह विचार किया गया है कि रेल कामगारों का सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ तुलना करना सुसंगत नहीं है।

जहां तक तथाकथित उत्पीड़न का संबंध है, किसी भी रेल कर्मचारी को वैध ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिए उत्पीड़ित नहीं किया जाता है। केवल विशिष्ट भूल चूक के मामले में ही नियमों में निर्धारित अनुशासनिक प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद रेल कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार दंडित कर्मचारी को समुचित अपीलीय प्राधिकारी से अपील करने का अधिकार है।